

अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 434 / 2022



सिमरजीत कौर पत्नी श्री मदन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीया

बनाम्

1. इन्दप्रीत सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह
2. दर्शन सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह
3. हरदम सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह
4. सिकन्दर सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह
5. अलबेल सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह
6. गुरलाल सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह
7. गुरमेल सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह
8. गुरदीप सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह
9. हरजोत सिंह पुत्र श्री कुलविन्द्र सिंह
10. परमजीत कौर पत्नी स्व. श्री कुलविन्द्र सिंह
11. अमनदीप कौर पुत्री स्व. श्री कुलविन्द्र सिंह
12. गुरप्यार सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह
13. मनप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री सुखपाल सिंह
14. गुरमीत कौर पत्नी स्व. श्री सुखपाल सिंह
15. कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुखमहेन्द्र सिंह
16. कुलदीप सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह जाति कुम्हार
17. गुरदास सिंह पुत्र श्री गुजर सिंह
18. गुरमेल कौर पुत्री श्री रूड़ सिंह
19. गुरराज सिंह पुत्र श्री मुन्शी सिंह
20. जयपाल सिंह पुत्र श्री मुन्शी सिंह
21. जगपाल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह
22. जसपाल कौर पत्नी श्री सुखमहेन्द्र सिंह
23. बलवीर सिंह पुत्र श्री गुजर सिंह
24. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह
25. मिठु सिंह पुत्र श्री रूड़ सिंह
26. मोहन सिंह पुत्र श्री रूड़ सिंह
27. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुन्शी सिंह
28. विमला कौर पुत्री श्री रूड़ सिंह
29. विमला देवी पत्नी श्री मदनगोपाल जाति जाट
30. सोहन सिंह पुत्र श्री रूड़ सिंह
31. हरजिन्द्र कौर पत्नी श्री राम सिंह उर्फ हरदेश सिंह
32. गुरजन्त सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह
33. मनिन्द्र कौर पत्नी श्री गुरछविन्द्र सिंह
34. सुखमणी कौर पुत्री श्री गुरछविन्द्र सिंह
35. रामअश सिंह पुत्र श्री गुरछविन्द्र सिंह
36. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ढाबां जरिये शाखा प्रबन्धक।
37. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

जाति जटसिख निवासी
ढाबां तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व एकपक्षीय वकील प्रतिवादी पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/भू.अ./22/4267 दिनांक 30.11.2022 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशतकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है। कब्जा काशत अनुसार निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड अलग-अलग खाता कायम किया जावे।



चक 1 बीजीपी खाता संख्या 21/42 पं.नं. 215/131 मु.न. 6 किला नं. 6,7,8,13,14,15,16,17,18,23/0.253 हैं प्र. प.न. 216/129 मु.न. 2 किला नं. 18/0.089, 22,23/0.506 हैं प्र. पं.न. 216/130 मु.न. 4 किला नं. 2,3,8,13,14/1.265 हैं प्र. पं.न. 215/131 मु.न. 7 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.114, 2/2/0.013, 9/2/0.127, 10,11/0.253, 12/2/0.126, 20/0.253, कुल नहरी 5.744 हैं गै.मु0 खाला 0.038 कुल 5.782 हैं नहरी

चक 1 बीजीपी खाता संख्या 77/4 प.न. 220/139 मु.न. 46 किला नं. 3,4/0.253 हैं प्र. 5/1/0.038, 5/2/0.026, 6/1/0.190, 6/2/0.025, 7,8/0.253 हैं पं.न. 220/142 मु.न. 66 किला नं. 9,10/0.253 हैं पं.न. 221/141 मु.न. 62 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, नहरी 1.947 गै.मु. खाला 0.051 गै.मु. रास्ता 0.025 कुल 2.050 हैं नहरी

चक 1 बीजीपी खाता संख्या 79/51 पं.न. 220/139 मु.न. 46 किला नं. 9,11,12,13,19,20/1.518 हैं

सिमरजीतकौर पत्नी मदनसिंह जाति जटसिख सा. ढाबा चक 1 बीजीपी खाता संख्या 21/42 पं.न. 206/130 मु.न. 4 किला नं. 3/1/0.127, 8,13,14/0.253 हैं प्र. कुल 0.886 है

चक 1 बीजीपी खाता संख्या 77/4 पं.न. 220/139 मु.न. 46 किला नं. 3,4/0.253 हैं प्र. 5/1/0.038, 5/2/0.026, 6/1/0.190, 6/2/0.025, 7,8/0.506 हैं प्र.

चक 1 बीजीपी खाता संख्या 79/51 मु.न. 220/139 मु.न. 46 किला नं. 9/0.253

2 मोहनसिंह पु. रूडसिंह जाति जटसिख सा0 ढाबा चक 1 बीजीपी खाता संख्या 79/51 प.न. 220/139 मु.न. 46 किला नं. 11,12/0.506 हैं प्र.

3 गुरलालसिंह गुरदीपसिंह पि. मेजरसिंह बहिब जाति जटसिख सा. ढाबा खातेदार चक 1 बीजीपी खाता सं. 21/42 प.न. 215/131 मु.न. 6 किला नं. 6/1/0.211, 15/1/0.211, 16/1/0.211, पं.न. 216/131 मु.न. 7 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.114, 2/2/0.013, 9/2/0.127, 10,11/0.506 हैं प्र. 12/2/0.126, 20/0.253 हैं कुल 2.025 हैं

4 गुरप्यारसिंह पुत्र सुखपालसिंह जाति जटसिख सा0 ढाबा चक 1 बीजीपी खाता संख्या 21/42 प.न. 215/131 मु.न. 6 किला नं. 6/2/0.042, 7,8,13,14/0.253 है प्र. 15/0/0.042, 16/2/0.042, 17,18/0.253 हैं प्र. 23/0.253 हैं कुल 1.897 हैं

5 कुलदीपसिंह पुत्र सुखमहेन्द्रसिंह 1/2 हि हरदेवेन्द्रकौर पत्नी हरदीासिंह 1/4 हि मनिन्द्रकौर पत्नी गुरछविन्द्रसिंह 1/12 हि रामअंशसिंह पु.

गुरछिन्द्रसिंह 1/12 हि सुखमणीकौर पुत्री गुरछिन्द्रसिंह 1/12 हि जाति जाटसिख सा ढाबा नोट सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा स्थगन आदेश मुकदमा 212 आरटीए दि. 2014

चक 1 बीजीपी खाता संख्या 21/42 पं.न. 216/129 मु.न. 2 किला नं. 18/0.089, 22,23/0.506 है प्र. पं.न. 216/130 मु.न. 4 किला नं. 2/0.253, 3/2/0.126 **चक 1 बीजीपी के खाता संख्या 77/4** प.न. 220/142 मु.न. 66 किला नं. 9,10/0.506 है प्र.

6 इन्द्रादेवी पत्नी धर्मपाल 1/3 हि विरेन्द्रकुमार पुत्र धर्मपाल 1/3 हि अनुज जाखड पुत्र धर्मपाल 1/3 हि जाति जाट सा ढाबा चक 1 बीजीपी खाता संख्या 79/51 प.न. 220/139 मु.न. 39 किला नं. 13,19,20/0.253 है प्र.

7 विजयकुमार पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा ढाबा पं.न. 221/141 मु.न. 62 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, कुल 0.253 है.

उपरोक्त बटवारा मे अर्जित भूमि के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4,7,9,10 11,12,14,16,25, 27,30,32 का कब्जा काश्त नही है व प्रतिवादी संख्या 26,5,6,7,8,14,15,19,28,31 का भिन्न भिन्न बैंकां का ऋण दर्ज रिकार्ड है।

उक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोट :- इस न्यायालय में विचारधीन प्रकरण संख्या 85/2017 सुखमणी कौर वगैरा बनाम जसपाल कौर में अस्थाई स्थगन चक नं. 1 बी.जी.पी. की वादग्रस्त भूमि जो इस डिक्री के पृष्ठ संख्या 03 के बिन्दु सं. 5 में वर्णित खाता संख्या 21/42 पं.न. 216/129 मु.न. 2 किला नं. 18/0.089, 22,23/0.506 है प्र. पं.न. 216/130 मु.न. 4 किला नं. 2/0.253, 3/2/0.126 **चक 1 बीजीपी के खाता संख्या 77/4** प.न. 220/142 मु.न. 66 किला नं. 9,10/0.506 है प्र. भूमि पर दिया गया था। इस न्यायालय में इसी 1.480 है. कृषि भूमि की हद तक पक्षकारों में आपस में वाद विचाराधीन होने एवं जारी स्थगन आदेश के मध्यनजर अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना उक्त किलो के संबंध में वाद संख्या 85/2017 के निर्णय तक यथावत जारी रखी जावे। बिन्दु सं. 5 के अलावा इस डिक्री में वर्णित अन्य बिन्दुओं में उल्लेखित पक्षकारों का नामान्तरण संबंधित खातो/किलो अनुसार, नियमानुसार किया जा सकता है। जिनमें उक्त निषेधाज्ञा प्रभावित नही होती है।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

निज.....x.....निल...x.....मुब्लिक.....x.....निल.....x.....बाबत.....x.....निल.....100/-.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकx... ..को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.01.2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया